न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 26/2010

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भंवरनाथ पुत्र गणेशनाथ जाति स्वामी निवासी माण्डोली तहसील भीनमाल जिला जालोर।		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री सरदार खान खोखर, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

–: निर्णय :–

दिनांक 13.05.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2009 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2010 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार भीनमाल के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा मौजा माण्डोली के खसरा नंबर 1261 रकबा 1.33 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाडी व खसरा नंबर 1264 रकबा 0.02 किस्म गैर मुमकिन पाल की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार भीनमाल द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए 50 रूपये शास्ति से दंडित करने का आदेश प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर जालोर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.04.2010 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आराजी पर अपीलांट का मकान पीढीयो से आया हुआ है। जिस पर अपीलांट के पूर्वज एवं अपीलांट का निरन्तर कब्जा है। अपीलांट स्वामी संप्रदाय से है एवं अपीलांट के समाज में अपने रीति रिवाज अनुसार जब भी किसी का स्वर्गवास होता है तो उसकी समाधि घर मे ही दी जाती हैं और अपीलांट के पुरखो की समाधिया आज भी अपीलांट के बाडे में मौजूद है। उक्त प्रकरण के सबंध में पूर्व में राजस्व अपील संख्या 77/93 भंवरनाथ बनाम नायब तहसीलदार भीनमाल के उनवान से एक पत्रावली अतिरिक्त जिला कोर्ट जालोर में चली थी, जिसका निर्णय दिनांक 23.12.1993 का निरस्त कर पत्रावली रिमांड की गई थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबध अपीलांट के निवेदन करने पर भी उक्त पत्रावली का रेकर्ड पर नही लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो का ध्यान में न रखते जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त किया जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया मौजा माण्डोली के खसरा नंबर 1261 रकबा 1.33 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाडी व खसरा नंबर 1264 रकबा 0.02 किस्म गैर मुमकिन पाल राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के संदर्भ में हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार भीनमाल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया। जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा मौजा माण्डोली के खसरा नंबर 1261 रकबा 1.33 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाडी व खसरा नंबर 1264 रकबा 0.02 किस्म गैर मुमकिन पाल की भूमि पर अतिक्रमण करने के संदर्भ में हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार भीनमाल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार भीनमाल द्वारा अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखली एवं लगान 1 रूपये का 50 गुणा राशि बतौर जुर्माना का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर जालोर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे जिला कलक्टर जालोर द्वारा खारिज किया गया। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि किस्म मुमकिन नाडी, गैर मुमकिन पाली है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 257/08 में तहसीलदार भीनमाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2009 तथा जिला कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2009 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2010 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली